कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0: स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-01/2016-17/

दिनांक: /09/2016

सेवा में,

अपर मुख्य अधिकारी

ज़िला पंचायत- चमोली,

जनपद- चमोली

विषय : जिला पंचायत, चमोली, जनपद चमोली का वर्ष 2014-15 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के **भाग4 (ब)-1 में 02 प्रस्तर, भाग 4 (ब)-2 मे 04 प्रस्तर** तथा **STAN के शून्य प्रस्तर** हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-1 के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या **सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन देहरादून** एवं भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी **(निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, उत्तराखंड)** के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम अनुपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1. प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 01/2016-17/ **दिनांक : /09/2016**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन देहरादून ।

2- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, उत्तराखंड, सहस्त्रधारा मार्ग,आइ.टी. पार्क के पास, देहरादून।

3- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः

4- जिला पंचायतराज अधिकारी,चमोली

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2016-17 के लिये जिला पंचायत चमोली, पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत पंचायतराज अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

श्रीमती मुन्नी शाह — अध्यक्ष (जिला पंचायत)

श्री तेज सिहं — अपर मुख्य अधिकारी

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम

() श्री अशोक कुमार, व.ले.प.अ.

(ii) श्री अर्जन सिहं, स.ले.प.अ.

(iii) श्री के0बी0 गुरुंग, पर्यवेक्षक

(iv) श्री आशीष मालवीय वरि ले0प0

(स) संप्रेक्षा तिथि 12-08-2016 से 29-04-2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि:04/ 2014 से 03/2016 तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **ज़िला पंचायत, चमोली**

(अ) उपरोक्त यदि जिला पंचायत राज अधिकारी है तो क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या: 09 क्षेत्र पंचायत

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः

भौगोलिक क्षेत्र : 8030 वर्ग किमी

जनसंख्या : 616409

2. निर्वाचित सदस्यों की संख्या : 27
3. (अ) पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 08
4. (ब) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: 06 बैठक :
5. कर्मचारियों की संख्या : 24
6. पंचायतराज की सम्पत्तियां : 160
7. पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -
8. योजनाओं की संख्या :- 09
9. (अ) सामाजिक संरक्षा : - (ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

   (स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें: - (द) लाभार्थियों की संख्या:
10. वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि :
11. वर्ष के दौरान कुल व्यय : ` 87.45 लाख

    (अ) सामान्यः-

    (ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।
12. क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया- हाँ

भाग-4(अ)

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय **अपर मुख्य अधिकारी, ज़िला पंचायत, चमोली, जनपद चमोली** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 04/2014 से 03/2016 तक की सम्प्रेक्षा श्री अशोक कुमार, व.ले.प.अ, श्री अर्जुन सिहं, स.ले.प.अ.,श्री के0बी0 गुरुंग, पर्यवेक्षक एवं श्री आशीष मालवीय, वरि ले0प0 द्वारा दिनांक 18.04..2016 से 29.04.2016 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तरः-

	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर भाग-4(ब)I**	**प्रस्तर भाग-4(ब)II**
(i)	AIR-199/2014-15	प्रस्तर 01 से 05	प्रस्तर 01 से 05

प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग** **प्रस्तरों की संख्या**

(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर - **अप्राप्त**

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची-

भाग 4(ब)-1

प्रस्तर 1: बद्रीनाथ में पर्यटन आवास गृह एवं शौपिगं काम्प्लैक्स निर्माण पर ` 13.62 लाख का निरर्थक व्यय।

बद्रीनाथ मं पर्यटन आवास गृह एवं शॉपिगं काम्प्लैक्स निर्माण हेतु सचिव उत्तराखण्ड शासन ने दिनांक 10-03-2006 को ` 132.70 लाख की आगणन पर टी0ए0सी0 परीक्षण उपरान्त ` 132.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ दिया गया था कि उक्त निर्माण कार्य पर होने वाले समम्त कार्य व्यय भार जिला पंचायत अपने संशाधनों से व्यय करेगी। इकाई द्वारा 07-06-2007 को निविदा आमंत्रित की गई, जिसमें 01 निविदादाता द्वारा आगणन धनराशि के सापेक्ष 45.15 प्रतिशत अधिक पर निविदा दिये जाने के कारण पुनः दिनांक 13-07-2007 को निविदा आमत्रित की गई जिसमें 01 ही निविदादाता से(पूर्व ठेकेदार द्वारा) 13.74 प्रतिशत अधिक पर निविदा प्राप्त हुआ। दूसरी निविदा पूर्व ठेकेदार से ही प्राप्त होने के कारण इकाई द्वारा 10 प्रतिशत अधिक पर निविदा सौंपने पर सहमति दी गई जिसे ठेकेदार द्वारा स्वीकार किया गया दिनांक 31-08-2007 को अनुबन्ध किया गया एवं कार्य दिनांक 01-09-2007 से आरम्भ करने हेतु निर्देश दिये गये।

जिला पंचायत, चमोली के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वन भूमि जिसका क्षेत्रफल 0.034 हैक्टेयर था का दिनाँक 08-07-2009 को 30 साल के लिए पटटा निष्पादन किया गया, परन्तु इकाई द्वारा दिनांक 18-11-2006 से शाश्वत रुप से पटटा धारण कर ` 9.87 लाख (प्रिमियय ` 2,53,125 लाख+लीज किराया-29*25313=7,34,077) का भुगतान किया गया, इस प्रकार लीज किराया निष्पादन की तिथि से 32 माह पूर्व की सम्पूर्ण धनराशि 01 मुस्त जमा की गई तथा नियोषजित कार्य पर ` 13.62 लाख का व्यय किया गया था विवरण निम्नवत् है।

1.	लीज किराया	- 7,34,077 (25313×29)
2.	प्रिमियम (भूमि मूल्य)	- 2,53,125
3.	लीज रेंट (प्रिमियम का 10%)	- 25313
4.	स्टाम्प शुल्क	- 25,313
5.	वृक्षारोपण	- 19,720
6.	ठेकेदार को भुगतान	- 2,89,654
7.	शिला पट्टा	- 12,000
	कुल योग	**- 13,62,365**

प्रस्तावित स्थल खेत संख्या -564 में सरकारी/अर्थ-सरकारी के कारण भू-उपयोग के अनुसार इकाई द्वारा बिना भू-उपयोग एवं नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र बद्रीनाथ से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये जाने पर आदेश दिनांक 13.11.2007 एवं दिनांक 27.11.2007 के अन्तर्गत प्रस्तुत भवन का प्लान निरस्त किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि भवन निर्माण की अनुमति के प्रत्याशा में अगस्त 2007 में निविदा आमन्त्रित की गई थी परन्तु अक्टूबर 2007 से नियत प्राधिकारी द्वारा रोक लगा दी गई है वर्तमान में दिनांक 29.04.2016 वाद दायर प्रस्तुत होना है एवं अवर न्यायालय द्वारा सुनवायी उपरांत निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्माण भूमि उपलब्धता, नक्शा एवं अन्य प्राधिकारी से समस्त औपचारिकता पूर्ण कर कार्य कराया जाना था तथा वनभूमि लीज किराया 32 माह पूर्व लिए जाने से शासकीय धन की हानी हुई है।

अतः बद्रीनाथ में पर्यटन आवास गृह एवं शांपिग काम्प्लैक्स निर्माण पर ` 13.62 लाख का निरर्थक व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-1

प्रस्तर 2: विभन्न विभागों तथा विकास खण्डों से विभव कर एवं सम्पत्ति कर के रुप में ` 58.26 लाख की धनराशि की वसूली लम्बित रहना।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 (जो उत्तराखण्ड में भी लागू है) की धारा 121(क) के अध्याय 07 के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति पर कर आयोपित कर सकता है जो ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसाय करता है। उक्त अधिनियम की धार 121(ग) के अनुसार उस व्यक्ति की जो कुल आय होगी उस आय पर तीन पैसे प्रति रुपया देय होगा उक्त धारा के (ख) के अनुसार उस व्यक्ति पर कर नहीं लगाया जायेगा जिसकी वार्षिक आय ` 12,000/- या उससे कम हो। विभव एवं सम्पत्ति करों की वसूली से सम्बन्धित पंजिका एवं अन्य अभिलेखों की जाँच में पाया गया वर्ष 2015-16 में विभिन्न विभगों में पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा किये गये कार्यों पर विभव-कर एवं सम्पति कर तथा 09 विकास खण्डों से विभव कर की वसूली नही की गई थी जिसका विवरण निम्नवत हैं -

धनराशि ` हजार में

क्र.सं.	**विभाग का नाम/विकास खण्ड का नाम**	**वसूली हेतु लम्बित धनराशि(विभव कर एंव सम्पति कर/विभव कर) वर्ष2015-16**
I	**विभाग का नाम**	
1.	लो.नि.वि. गोपेश्वर	410178
2.	लो.नि.वि. कर्णप्रयाग/गैरसैण	343931
3.	लो.नि.वि. पोखरी	935242
4.	जिला पंचायत चमोली	88927
5.	ग्रामीण अभियन्त्रण गोपेश्वर	288994
6.	जल संस्थान गोपेश्वर	134046
7.	मुख्य चि. अधि.गोपेश्वर	191341
8.	दुग्ध वि. सिमली	31841
9.	लि.नि.वि. थराली	191865
10.	विधुत विभाग	44525
11.	लो.नि.वि. गौचर	219279
12.	लो.नि.वि. रुद्रप्रयाग उखीमठ	2632
13.	समस्त विकास खण्ड़ ठेकेदारी	226300
14.	सिचाई विभाग चमोली	559691
15.	लघु सिचाई विभाग	233348
16.	भवन स्वामी/सीमान्त सघं	30927
17.	बस ओनर्स 1	438066

18.	बस ओनर्स 2	136226
19.	पेय जल निगम	166952
20.	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ	116477
II	**विकास खण्ड का नाम**	
1.	घाट	119769
2.	पोखरी	64347
3.	थराली	107063
4.	देवाल	42425
5.	गैरसैण	85333
6.	जोशीमठ	76216
7.	कर्णप्रयाग	97443
8.	नारायणगढ	187857
9.	दशोली	255678
	कुल य़ोग(I+II)	**5826919**

उपरोक्त लम्बित करों की वसूली के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया वसूली के पूर्ण प्रयास जारी है बकायेदारों पर आर.सी. जारी की गई है एवं विभाग में कर्मचारियों की कमी के कारण पूर्ण वसूली करने में कठिनाई हो रही है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त वसूली नियमित होनी चाहिए विभाग द्वारा जब कार्य सम्पन्न कराये जाते है ठेकेदारो को भुगतान किया जाता है उसी समय कर की कटौती की जानी चाहिए तथा जिला पंचायत निधि में जमा हो जानी चाहिए थी।

अतः ` **58.26** लाख की धनराशि विभव कर एवं सम्पति कर के रुप में लम्बित रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 1:- दुकानों एवं कार्यालय भवनों का किराया ` 29.19 लाख की धनराशि की वसूली लम्बित रहना।

जिला पंचायत की अपनी सम्पत्तियों जैसे दुकानों, कार्यालय भवनों आदि जो किराये पर अन्य विभागों को दिये गये है या वह दुकाने जो किराये पर दी गयी है उस किराये की धनराशि की नियमित वासूली होनी चाहिऐ ताकि जिला पंचायत की आय में वृद्धि हो सके तथा धनराशि का उपयोग विकास के कार्यों में किया जा सके।

किराये से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2015-16 में किराये की वसूली ` 29.19 लाख की धनराशि वसूली के लिए लम्बित पडी है। कुछ किरायेदारों एवं सरकारी कार्यालय जैसे दूरसंचार, गुडडू हसन नरसिहं होम, एन0टी0पी0सी0, लक्ष्मणसिहं आदि के विरुद्ध लम्बी अवधि से धनराशि वसूली हेतु लम्बित पडी हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि वसूली की कार्यवाही की जा रही है कुछ वकायेदारों पर आर0सी0 जारी की जा चुकी है

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि वसूली नियमित होनी चाहिए किराये से प्राप्त धनराशि आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

अतः ` 29.19 लाख की धनराशि के वसूली का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 2: विशिष्टियों के विपरीत ` 89.98 लाख के सोलर स्ट्रीट लाईट का क्रय एवं ` 63 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र अप्राप्त होना।

जनपद चमोली के 09 विकास खण्ड़ों में 360 नग सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापित करने हेतु जिला पंचायत, चमोली की बैठक दिनांक 26-06-2013 तेहवाँ वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2012-13 में संस्तुति की गई प्रथम किस्त की धनराशि `98.02 लाख से कराया जाये। इकाई द्वारा दिनांक 11-10-2013 को विकास खण्डवार निविदा आमन्त्रित की गई Ms Addas Rinuvebal Pvt. Ltd., देहरादून को 03 एवं Ms Social Engineers Pvt. Ltd., देहरादून को 06 विकास खण्डों में ` 0.25 लाख प्रति नग सोलर स्ट्रीट लाईट(LED)लगाने हेतु 360 स्थानों का चयन किया गया तत्पश्चात समझौता दर (Negatition) के अनुसार `0.235 लाख से `0.245 लाख के बीच दरें अनुमोदित की गई। इस दौरान प्रशासक/ जिलाधिकारी द्वारा उरेडा, चमोली से दरें प्राप्त की जिसमें उरेडा द्वारा ` 0.22 लाख प्रति नग सोलर स्ट्रीट लाईट(CFL) की दरें उपलब्ध करायी गई। इस प्रकार निविदादाता एवं उरेडा चमोली द्वारा दी गई सोलर स्ट्रीट लाईट की विशिष्टता में भिन्नता थी।

निविदादाता द्वारा दी गई विशिष्टियों में 40 वाट सोलर पेनल, 12 बोल्ड, 40 ए0एच0 टूयूबलर बैट्री, 12 वाट एलईडी लाईट चार्ज कन्ट्रोलर के साथ 01 साल बैट्री तथा 10 साल सोलर पेनल की गांरटी के साथ ही पोल एवं कलैम्प पर जंगरोधक कोटिंग सहित तथा उरेडा द्वारा दी गई विशिष्टियों में 75 वाट का सोलर पेनल, 75 ए.एच. की टूयूबलर वैट्री, 11 वाट सी0एफ0एल तथा 65 MM जी0 आई0 पाईप के साथ पी0बी0सी0 बैट्री बाक्स उपलब्ध करायी गई थी। इस प्रकार इकाई द्वारा दरें निर्धारित करते समय विशिष्टियों को ध्यान में नही रखा गया, दरें कम होने के कारण अतिरिक्त 49 सोलर स्ट्रीट लाईट(CFL) की ओर माँग बढाई गई। इकाई द्वारा बिना अनुबन्ध किये दिनांक 04.03.2014 को 409 नग (360+49) सोलर स्ट्रीट की आपूर्ति हेतु ` 63.00 लाख (यानि 70 %) उरेड़ा, चमोली को भुगतान किया गया। जिसमें उरेड़ा द्वारा कार्यदेश से तीन माह में पूर्ण करने हेतु आश्वासन दिया गया था, परन्तु लेखापरीक्षा अवधि (अप्रैल 2016) तक कुल 207 सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा सोलर स्ट्रीट लाईट की विशिष्टियों के विपरीत (LED के बदले CFL) आपूर्ति के सम्बन्ध में पूछे जाने पर बताया गया कि प्रशासक (जिलाधिकारी) द्वारा उरेड़ा, चमोली की दरे कम होने के कारण आपूर्ति की संस्तुति की गई। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सोलर स्ट्रीट लाईट की विशिष्टियों में भिन्नता होने के कारण, दरों में तुलना नहीं की जा सकती है।

अतः विशिष्टियों के विपरीत ` 89.98 लाख के सोलर स्ट्रीट लाईट का क्रय, ` 63.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र अप्राप्त होना एवं 24 माह व्ययतीत होने के पश्चात भी 202 नग सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापित नहीं किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 3(अ): 13वाँ वित्त आयोग के कार्य अनारम्भ एवं अपूर्ण रहने से ` 155.14 लाख की धनराशि अवशेष रहना।

तेरहवां वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक जिला पंचायत, चमोली को 177 कार्य के सापेक्ष ` 176.80 लाख आंवटित की गई थी, जिसमें 09 अपूर्ण कार्यों पर ` 21.66 लाख व्यय किया गया था एवं शेष 168 कार्य अनारम्भ थे। जिस पर ` 155.14 लाख की धनराशि अवशेष थी।

लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि वर्ष 2013 में दैवीय आपदा के कारण परिस्थिति विषम थी तथा धनराशि दो किस्तों में प्राप्त होने के कारण योजनाओ का चयन कर बैठक में स्वीकृत की जाती है। वर्तमान में सभी कार्य प्रगति पर है, शीध्र पूर्ण करने हेतु कनिष्ट अभियन्ता को निर्देशित किया गया है।

अतः अपूर्ण एवं अनारम्भ कार्य का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 3 (ब) विधायक निधि में पूर्ण धनराशि अवमुक्त न होने के कारण कार्य अपूर्ण रहना ।

विधायक निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों में प्रथम किस्त एवं द्धितीय किस्त में क्रमशः 75 व 25 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जाती है। जिला पंचायत, चमोली द्वारा वर्ष 2013-14 में विधायक निधि के 82 कार्यों के लिए ` 74.45 लाख की स्वीकृत की गई थी, जिसके सापेक्ष प्रथम किस्त ` 56.12 लाख अवमुक्त की गई थी।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि प्रथम किस्त में प्राप्त धनराशि से कराये गये कार्य अपूर्ण थे, जिसके कारण द्धितीय किस्त की मांग नही की जा सकी। लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि कार्य शीध्र पूर्ण करने हेतु प्रयास किये जा रहे है। जिला चमोली के भौगोलिक परिस्थितियाँ कठिन होने के कारण कार्य पूर्ण करने में विलम्ब हो रहा है।

उत्तर मान्य नही है, क्योंकि कार्य देश निर्गत करने के 90 दिनों के अन्दर कार्य पूर्ण किया जाना था।

अतः कार्यों के अपूर्ण रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 3:(स) राज्य वित्त आयोग के निर्माण कार्यों में प्राप्त धनराशि ` 435.83 लाख को अवरुद रखना।

राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कुल 789 कार्य स्वीकृत किया गया था, जिसके सापेक्ष 400 कार्य पूर्ण किये गये थे एवं शेष कार्य 389 के सापेक्ष ` 435.83 लाख की धनराशि अवरुद्ध पडी थी। इकाई द्वारा अवशेष कार्य पर कार्य प्रारम्भ नही किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य वित्त का अनुदान 04 किस्तों में प्राप्त होती है धनराशि प्राप्त होने पर सदस्य से योजना प्रस्तावित हेतु अनुरोध किया जाता है। योजना प्राप्त होने के पश्चात समिति द्वारा स्वीकृत करने के उपरान्त कार्य कराया जाता है।

उत्तर मान्य नही है क्योंकि वित्तीय वर्ष तक कार्य पूर्ण किया जाना चाहिए । इकाई द्वारा शेष कार्य प्रारम्भ ही नही किया गया था।

अतः धनराशि प्राप्त होने के पश्चात भी कार्य प्रारम्भ न करने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 4: सर्विस टैक्स के रुप में ` 6.23 लाख का जमा न किया जाना।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा सेवा पर कर लगाये जाने का प्रावधान है। इस क्रय से राष्टपति द्वारा वित्त विधेयक 2015 को मंजूरी देने के पश्चात वित्त मंत्रालय के अधिसूचना संख्या-14/2015-ST दिनांक 19 मई 2015 को सेवाकर की दर 12.36 प्रतिशत में वृद्धि कर 14 प्रतिशत किया गया था तत्पश्चात सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-21/2015-ST दिनांक 06-11-2015 को स्वच्छ भारत उपकर(SBC) दिनांक 15-11-2015 से लागू कर 0.5 प्रतिशत की सेवाकर वृद्धि की गई।

जिला पंचायत चमोली के दुकानों से प्राप्त होने वाले किराये से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक वसूली की गई किरायों पर सर्विस टैक्स ` 6.23 लाख की वसूली नही की गयी और न ही आयकर विभाग को जमा किया गया था।

इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि दुकानों से प्राप्त होने वाली आय पर सेवा कर की देय दर के अनुसार किरायेदारों से वसूली की कार्यवाही की जा रही है। तत्पश्चात वसूल किये जाने के बाद सेवाकर को जमा कर दिया जायेगा।

उत्तर मान्य नही है क्योंकि सर्विस टैक्स की नियमित रूप से वसूली कर आयकर विभाग को जमा किया जाना चाहिए ।

अतः सर्विस टैक्स की राशि ` 6.23 लाख की वसूली कर आयकर विभाग को जमा न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-4, अनुभाग (स)

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चमोली** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरि. उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी.-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
स्थानीय निकाय

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 2:- ग्रामीण क्षेत्र में दुकानों एवं अन्य व्यवसायियों से विभव एवं सम्पत्ति कर ` 10.36 लाख की वसूली लम्बित रहना।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 (जो उत्तराखण्ड़ में भी लागू है) की धार 119(क) के अनुसार जिला पंचायत को उन दुकानदारों एवं अन्य व्यवसायियों से विभव तथा सम्पत्ति कर अधिरोपित कर वसूल करने का अधिकार है जो ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय करते है अधिनियम की धारा 120(3) के अनुसार जिला पंचायत को विभव एवं सम्पत्ति कर के बकाया धनराशि को वसूल करने का अधिकार भी है।

विभव एवं सम्पत्ति कर की वसूली से सम्बन्धित पंजिका एवं अन्य अभिलेखों की जाँच में पाया निम्नलिखित विकास खण्ड़ों वार वर्ष 2015-16 तक विभिन्न व्यवसायों से विभव एवं सम्पत्ति कर वसूली लम्बित थी जिसका विवरण निम्न है।

क्र.सं.	**विकास खण्ड़ का नाम**	**अवशेष धनराशि वर्ष 2015-16**
1.	घाट	1,19,769
2.	पोखरी	64,347
3.	थराली	1,07,063
4.	देवाल	42,425
5.	गैरसैण	85,333
6.	जोशीमठ	76,216
7.	कर्णप्रयाग	97,443
8.	नारायणगढ	1,87,857
9.	दशोली	2,55,678
	योग	**10,36,131**

लेखा परीक्षा द्वार इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया वसूली की कार्यवाही की जा रही है इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त की वसूली नियमित होना चाहिए जिससे आय में वृद्धि होती है।

अतः ` 10.36 लाख की धनराशि का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।